रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

**असाधारण**
**EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
**PART II—Section 3—Sub-Section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित
**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 187] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 1989/चैत्र 13, 1911
**No. 187] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 1989/CHAITRA 13, 1911**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
**Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1989

आधिसूचना

का०आ० 253(अ) :—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

श्री मस्त राम, अधिवक्ता ने 10 फरवरी, 1986 को एक अर्जी फाइल की थी जिसमें उसने अभिकथन किया था कि श्री गुरु दयाल सिंह ढिल्लों, जो लोक सभा के आसीन सदस्य हैं तथा फीरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और 78 एवं निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 86 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ङ) के अनुसार लोक सभा की सदस्यता के लिए निरर्हित हो गए हैं;

उक्त अर्जी पर संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन निर्वाचन आयोग से उसकी राय मांगी गई है।

निर्वाचन आयोग ने राय दी है कि (उपाबंध दखिए) उक्त श्री गुरु दयाल सिंह ढिल्लों किसी भी निरर्हता के अधीन नहीं है।

अतः मैं, रामस्वामी वेंकटरामन, भारत के राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार यह विनिश्चित करता हूं कि उक्त श्री गुरु दयाल सिंह ढिल्लों संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड

(1) के उपखंड (ङ) के अनुसार यथाअभिकथित किसी भी निरर्हता के अधीन नहीं है।

(रामस्वामी वेंकटरामन)
भारत का राष्ट्रपति

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष
1986 का निर्देश मामला सं० 4

संदर्भ :—लोक सभा के आसीन सदस्य श्री गुरू दयाल सिंह ढिल्लों की अभिकथित निरर्हता।

राय

1. संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन यह भारत के राष्ट्रपति के अधीन किया गया निर्देश है। यह निर्देश भारत के राष्ट्रपति के समक्ष तारीख 10-2-1986 को श्री मस्त राम, अधिवक्ता फिरोजपुर द्वारा फाइल की गई अर्जी में उठाए गए प्रश्न पर निर्वाचन आयोग का राय लेने के लिए किया गया है। प्रश्न यह है कि क्या लोकसभा के आसीन सदस्य श्री गुरूदयाल सिंह ढिल्लों संविधान के अनुच्छेद 102(1) के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं।

2.1. अर्जी के प्रारंभ में यह सुझाव दिया गया है कि श्री गुरूदयाल सिंह ढिल्लों, जो दिसम्बर 1984 में हुए अंतिम साधारण निर्वाचन में फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और 78 तथा निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 86 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन निरर्हित हो गए हैं।

2.2. अर्जीदार ने अभिकथन किया है कि श्री गुरू दयाल सिंह ढिल्लों ने,—

(i) विधि द्वारा यथा अपेक्षित मदवार दैनिक लेखा नहीं रखा है जिसमें विहित विशिष्टियां समाविष्ट हों;

(ii) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए, मिथ्या लेखा गढ़ा है और मिथ्या रूप में यह प्रमाणित किया है कि वह उसके द्वारा रखे गए लेखा की, सत्य प्रतिलिपि है, और

(iii) विधि द्वारा यथा अपेक्षित रीति में सही शीर्षों के अधीन सही विशिष्टियां देते हुए, अपना लेखा लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।

2.3. अर्जीदार ने, श्री गुरूदयाल सिंह ढिल्लों द्वारा फाइल की गई विवरणी से कुछ उद्धरण, अन्य बातों के साथ यह दर्शित करने के लिए दिए हैं कि लेखा, मदवार दैनिक रूप में नहीं रखा गया है क्योंकि व्यय करने की तारीख वह तारीख दर्शित की गई है जिसने संदाय किया गया है न कि वह तारीख जिसको ऐसा व्यय उपगत या प्राक्कलित किया गया है। अर्जीदार ने यह भी अभिकथन किया है कि श्री गुरू दयाल सिंह ढिल्लों ने कुछ मदों को जानबूझ कर छिपाया है। अर्जी के अन्त में अर्जीदार ने यह प्रार्थना की है कि निर्वाचन व्ययों का मूल लेखा श्री गुरूदयाल सिंह ढिल्लों से मांगा जा सकता है और आवश्यक और उचित समझी जाने वाली जांच करने के पश्चात्, विधान मण्डल का सदस्य होने के लिए उन्हें निरर्हित किया जा सकता है।

3.1. अर्जी के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अर्जीदार को यह शिकायत होते हुए भी कि श्री गुरू दयाल सिंह ढिल्लों पहले ही निरर्हित हो चुके हैं, उनकी प्रार्थना यह है कि, उचित जांच के पश्चात, श्री गुरू दयाल सिंह ढिल्लों को निरर्हित किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि अर्जी संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन की गई है। यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103 केवल ऐसे मामले को लागू होता है जिसमें ऐसी निरर्हता अन्तर्वलित हो, जिससे वह, ऐसे निर्वाचन के पश्चात, ग्रस्त हो गया है। निर्हता ऐसी होनी चाहिए जो अनुच्छेद 102 के खण्ड (1) में उल्लिखित कोई निरर्हता है [निर्वाचन आयोग बनाम साका वेंकट राव (2 ई. एल. आर. 499 भारत का उच्चतम न्यायालय)]। किसी सदस्य के विरुद्ध किसी अर्जी में अनुच्छेद के अधीन अनुध्यात जांच यह अवधारण करने के लिए कि क्या सदस्य ऐसी निरर्हता से पहले ही ग्रस्त हो गया है, की जाती है न कि यह अवधारण करने के लिए कि क्या सदस्य को निरर्हित कर दिया जाए। अतः आयोग के लिए प्रारंभ में अवधारणीय प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान अर्जी को अनुच्छेद 103 लागू होता है या नहीं।

3.2. अर्जीदार ने जिस निरर्हता के प्रति निर्देश किया है वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 और 78 तथा निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 86 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ङ) के अधीन निरर्हता से संबंधित है। इन उपबंधों द्वारा किसी निरर्हता के उपगत या अधिरोपित किए जाने का उपबंध नहीं किया गया है। उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के साथ पढ़े जाते हैं। उक्त धारा 10क द्वारा आयोग को यह शक्ति दी गई है कि वह किसी व्यक्ति को निरर्हित कर दे यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति और समय में निर्वाचन-व्यय का लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहा है और उसके पास उसके लिए कोई ठोस कारण या औचित्य नहीं है। अर्जीदार की प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि जो निरर्हता अर्जीदार के विचार में है वह उक्त धारा 10क में उपबंधित है।

3.3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में उपबंधित निरर्हता निस्संदेह उन्हीं निरर्हताओं से एक है जो संविधान के अनुच्छेद 102 (1)(ङ) में उपबंधित है किन्तु यह सुस्थापित है कि उक्त निरर्हता की जांच और उसका आधारोपण उसी धारा के अधीन कार्यवाहियों में किया जा सकता है न कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन कार्यवाहियों में। (इस संबंध में आयोग की उस राय का अवलोकन करें जिसकी रिपोर्ट 51 ई.एल.आर. 292 51 ई.एल.आर. 295 में की गई है तथा आयोग की तारीख, 17 फरवरी, 1981 और 25 अप्रैल, 1986 की रायों का भी अवलोकन करें जो क्रमशः निर्देश मामला सं० 1980 के 8 और 1986 के 1 में प्रकट की गई है—ये राय वर्तमान अर्जीदार की अर्जी जैसी अर्जियों में ही प्रकट की गई है)। जहां संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन किसी अर्जी में ऐसे किन्हीं तथ्यों का अभिकथन है जो ऐसी निरर्हता का आधार बन सकते हैं क्योंकि अनुच्छेद 103 उन्हीं मामलों को लागू होता है जिनमें कोई निरर्हता पहले उपगत की जा चुकी है, वहां आयोग का कर्तव्य—जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (ए.आई. आर. 1978 उ. न्या. 1609) में बताया है, अपने अभिलेख को निर्देश करते हुए यह सत्यापित करना है कि उसने ऐसी कोई निरर्हता अधिरोपित की है। ऐसे सत्यापन के आधार पर आयोग का समाधान हो गया है कि उसने श्री गुरु दयाल सिंह ढिल्लों पर ऐसी कोई निरर्हता अधिरोपित नहीं की है। स्वयं अर्जीदार की प्रार्थना से यह स्पष्ट है कि श्री गुरु दयाल सिंह ढिल्लों ऐसी किसी निरर्हता से ग्रस्त नहीं हुए है। अर्जीदार आयोग से जो जांच करवाना चाहता है उसका संविधान के अनुच्छेद 103 में उपबन्ध नहीं है।

4. उपरोक्त कारणों से मैं अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री मस्त राम की अर्जी खारिज कर दी जाए। अतः भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त यह निर्देश मेरी उक्त राय के साथ उन्हें वापस किया जाता है।

(स्व० वेंकट सूर्य पैरिशास्त्री)
भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली, [फा०सं० 7(2)/89-विधायी-II]
28 दिसम्बर, 1988

एम० के० रामस्वामी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 3rd April, 1989

## NOTIFICATION

S.O. 253(E) :—The following Order made by the President is published for general information :—

## ORDER

Whereas a petition dated the 10th February, 1986 has been filed by Shri Mast Ram, Advocate, Ferozepur, alleging that Shri Gurdial Singh Dhillon, a sitting member of the Lok Sabha, who was elected from the Ferozepur Parliamentary Constituency, has become subject to disqualification for membership of the Lok Sabha in terms of sub-clause (e) of clause (1) of article 102 of the Constitution read with sections 77 and 78 of the Representation of the People Act, 1951 and rule 86 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

And whereas the opinion of the Election Commission had been sought under clause (2) of article 103 of the Constitution on the said petition.

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the said Shri Gurdial Singh Dhillon has not become subject to any such disqualification.

Now, therefore, I, R. Venkataraman, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide, in accordance with the opinion of the Election Commission, that the said Shri Gurdial Singh Dhillon has not become subject to any disqualification in terms of sub-clause (e) of clause (1) of article 102 of the Constitution as alleged.

Dated : March 25, 1989.

(R. VENKATARAMAN)
PRESIDENT OF INDIA

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

## REFERENCE CASE NO. 1 OF 1986

In re : Alleged disqualification of Shri Gurdial Singh Dhillon, sitting member of the Lok Sabha.

## OPINION

1. This is a reference from the President of India under article 103(2) of the Constitution. The reference is for seeking the opinion of the Election Commission on a question raised by Shri Mast Ram, Advocate, Ferozepur by his petition, dated 10-2-1986 filed before the President of India. The question is as to whether Shri Gurdial Singh Dhillon, a sitting Member of the Lok Sabha, had become subject to disqualification under article 102(1)(e) of the Constitution.

2.1 In the opening portion of the petition, it has been suggested that Shri Gurdial Singh Dhillon, who was elected to the Lok Sabha from Ferozepur Parliamentary constituency at the last General Election held in December 1984, had incurred disqualification under article 102(1) of the Constitution read with sections 77 and 78 of the Representation of the People Act, 1951 and rule 86 of the Conduct of Elections Rules, 1961.

2.2 The petitioner has alleged that Shri Gurdial Singh Dhillon :—

(i) had not kept the account as required by law, i.e. item-wise from day-to-day, containing the prescribed particulars ;

(ii) had to comply with the provisions of section 78 of the Representation of the People Act, 1951, fabricated false accounts and had falsely certified the same to be a true copy of the account kept by him ; and

(iii) had failed to lodge the same in the manner required by law, i.e. giving correct particulars under correct heads.

2.3 The petitioner also gave some extracts from the return filed by Shri Gurdial Singh Dhillon to show, inter alia, that the account was not maintained itemwise from day-to-day inasmuch as the date of expenditure had been shown as the date on which the payment had been made, and not date on which such expenditure was incurred or authorised. The petitioner also alleged that Shri Gurdial Singh Dhillon knowingly suppressed some items of expenditure. At the end of petition, the petitioner prayed that the original account of election expenses might be summoned from Shri Gurdial Singh Dhillon and after "holding such inquiry as may be considered necessary and proper, he may be disqualified" for being a member of the Legislature and his seat declared vacant.

3.1 A perusal of the petition will reveal that, while the petitioner's complaint is that Shri Gurdial Singh Dhillon has already incurred the disqualification, his prayer is that, after proper inquiry, Shri Gurdial Singh Dhillon may be disqualified. As mentioned above, the petition is under article 103 of the Constitution. It is well settled that article 103 of the Constitution applies only to a case involving a disqualification to which a member of Parliament has become subject, after he is elected as such. The disqualification has to be one of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 102 [Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (2 ELR 499, Supreme Court of India)]. The inquiry contemplated by the article on a petition thereunder against a member has to be for determining whether a member has already become subject to such disqualification, and not for determining whether the member should be disqualified. Therefore, the question which falls for determination of the Commission at the threshold is whether article 103 applies to the present petition.

3.2 The disqualification referred to by the petitioner is "the disqualification under article 102 (1) (e) of the Constitution read with sections 77 and 78 of the Representation of the People Act, 1951 and rule 86 of the Conduct of Elections Rules, 1961". These provisions do not themselves provide for the incurring or the imposition of any disqualification. They have to be read with section 10A of the Representation of the People Act, 1951. The said section 10A vests in the Commission the power to disqualify a person if it is satisfied that such person has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by or under the Act and has no good reason or justification for the failure. In view of the prayer of the petitioner, it would seem that the disqualification which the petitioner has in mind is the disqualification provided by the said section 10A.

3.3 The disqualification provided for in section 10A of the Representation of the People Act is, no doubt, one of the disqualifications mentioned in article 102 (1) (e) of the Constitution, but it is well settled that the said disqualification can be inquired into and imposed only in proceedings under that section and not in proceedings under article 103 of the Constitution. [See in this connection the Commission's opinions reported in 51 ELR 292, 51 ELR 295 and the Commission's opinions dated 17th February, 1981 and 25th April, 1986, in Reference Case No. 6 of 1980 and Reference Case No. 1 of 1986 respectively, arising out of similar petitions of the petitioner herein]. Where a petition under article 103 of the Constitution contains any allegations as to facts affording a basis for such disqualification, inasmuch as article 103 applies only in case where the disqualification has already been incurred, the duty of the Commission as pointed out by the Supreme Court in Election Commission Vs. N. G. Ranga (AIR 1978 SC 1609), is to make a verification with reference to its own record as to whether it has imposed any such disqualification. The Commission is satisfied, on the basis of such verification, that it has not imposed any such disqualification on Shri Gurdial Singh Dhillon. It is also clear from the prayer of the petitioner himself that Shri Gurdial Singh Dhillon has not become subject to any such disqualification. The type of inquiry which the petitioner wants the Commission to embark upon is not contemplated by article 103 of the Constitution.

4. In the above view, I hold that the present petition of Shri Mast Ram be rejected. Therefore, the instant reference received from the President of India is returned to him with my opinion to the above effect.

New Delhi, the
28th December, 1988.

(R. V. S. PERI SASTRI)
Chief Election Commissioner of India

[F. No. 7(2)/89-Leg. II]
M. K. RAMASWAMY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989